



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

सुशील बी. पखिड़े
Sushil B. Pakhide
सहायक कुलसचिव (स्था. एवं प्रशा.)
Assistant Registrar (Estt. & Admn.)

दूरभाष/Phone : + 91-7152-255707
फैक्स/Fax : + 91-7152-230902

F. No. 006/Estt./Dis. Comm./2017/05/ 6303
Date : 19/05/2017

कार्यालयादेश

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत विश्वविद्यालय के अध्यादेश (Ordinance 9) के बिंदु क्रमांक 9.6 के अनुसार (Under sub-section (p) of the Act and Statute no. 29) विश्वविद्यालय में अनुशासन समिति का गठन किया जाता है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. प्रतिकुलपति महोदय
2. अधिष्ठाता- छात्र कल्याण
3. कुलानुशासक
4. विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता
5. आमंत्रित सदस्य के रूप में छात्रावास अधीक्षक, यदि कोई विषय उनके छात्रावास से संबंधित है।
6. डॉ. अन्नपूर्णा सी., एसोसिएट प्रोफेसर, अनुवाद अध्ययन विभाग
7. श्री धर्मेन्द्र शंभरकर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ

अध्यादेश - 12 (Ordinance 12, Under Section 18 of the Act) के बिंदु क्रमांक 5 के अनुसार कुलानुशासक अनुशासन समिति के सचिव होंगे एवं वे समिति की बैठक आयोजित करेंगे।

Sushil
19/5
(सुशील बी. पखिड़े)

प्रति-

उपर्युक्त सभी संबंधित।

प्रतिलिपि-

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र
4. कुलानुशासक कार्यालय
5. कुलसचिव कार्यालय
6. वित्ताधिकारी कार्यालय
7. आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
8. अकादमिक विभाग
9. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कार्यालय प्रति